



सत्यमेव जयते

## उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी-30 डिफेंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135 - 2666778, 2666779

ईमेल : uicddn@gmail.com

संख्या : 4299/उ.सू.आ./2010

दिनांक : अक्टूबर 30 2010

अपर निदेशक  
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद  
नरेंद्र नगर

विषय : राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 में सूचना का अधिकार अधिनियम को पाठ्यक्रम में जोड़ने संबंधी.

सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू हुये अब पांच वर्ष का समय हो चुका है. इन पांच वर्षों में सूचना का अधिकार अधिनियम का राज्य के नागरिकों द्वारा प्रयोग, आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों आदि के अनुभवों के आधार पर आयोग की दृष्टि में यह उपयुक्त पाया गया है कि राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी प्रचार - प्रसार तथा उपयोग के लिए सूचना अधिकार अधिनियम की जानकारी विद्यालयी पाठ्यक्रम में माध्यम से दिया जाना श्रेयस्कर होगा तथा इससे जनसामान्य में इसकी उपयोगिता भी बढ़ेगी.

उपरोक्त के क्रम में कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 तथा 10 के पाठ्यक्रम में अगले शैक्षणिक सत्र से जोड़ने के लिए यथावश्यक कार्यवाही कर आयोग को अवगत करायें.

(एन.एस. नपलच्याल)  
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
2. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, जनपद नैनीताल.

(एन.एस. नपलच्याल)  
मुख्य सूचना आयुक्त